

प्रकाशचन्द कर्मा बनाम

सुरेश कर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/18	<p>वकील अर्फी उपस्थित। प्रह ७० फर २।२ R/A वकील अर्फी ने मूल दायी के साथ पेश किया। इन्हें पॉलिक (डी) प्रस्तुत ७० फर व स्मैजिंग पत्रादि का झवलोका किया गया। उक्त दस्तावेजों व सुविधा का समूह एवं शर्तों पर अर्फी के पक्ष में बनना उचित होता है।</p> <p>अतः अर्फीगण को जय अर्फी अर्फीगण के अर्फीगण पेश होने तक जो बन्द किया जाता है कि वो आ०७० नं० 138, 197, 811, 919, वके उक्त सुब्दानी सह कठूमर की रिकार्ड एवं मॉके की वतमाग रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं करे (समाप्ति बगए रखें)</p> <p>अर्फीगण को नोटिसदा कि उक्त आदेश की काल में कोई उजु होने दिनांक 27.6.18 को पेश करे कि वने ना उभत</p>	<p>1963 28-5-18</p>

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर अलवर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/6/22	<p>..... उपस्थित / राखित P/S/22 की तामील में जारी दिनांक 15/7/22</p> <p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">..... (.....)</p>	
15/7/22	<p>प्रभाव की बात में इसी प्रकार के साक्षात् उपर प्रभाव की बात में इसी प्रकार के साक्षात् उपर किता जा चुका है अतः न I प्रतीना-पत्र 212 P/S यहाँ में जाने के कोई जोखिम नहीं है अतः प्रतीना-पत्र न P/S दावा 1200 के अर्थ दिष्ट होने के कारण खारिज किया जा रहा है प्रभाव की तामील में जारी होकर नम्बर के अर्थ में इसके अर्थ में दावा सही रहे। (.....)</p> <p style="text-align: right;">..... उपस्थित कठमर (जलपर)</p>	